न्यायालय– राकेश कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बेगूसराय

C.R No. 1840^{c}/2022

T.R No. 111/2025

निर्णय की तिथिः 12.03.2026

सुभाष कुमार बनाम् नितिश कुमार

FORM A

उपस्थित : राकेश कुमार (न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी) **निर्णय की तिथि** : 12.03.2026 **सी0 आर0 संख्या** : 1840^{c}/2022 **टी0 आर0 संख्या** : 111/2025 **संज्ञान अंतर्गत धाराएं** : 323, 504 भा0द0वि	
परिवादी / अभियोजन	सुभाष कुमार
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता	रौशन कुमार
अभियुक्तगण।	1. रामाशीष शर्मा, 2. जमुनी देवी, 3. आरती देवी, 4. नीतिश कुमार, 5. दिलखुश कुमार शर्मा, 6. चंदन कुमार
प्रतिपक्ष के विद्वान अधिवक्ता	विश्वम्बर मिश्र

FORM B

घटना की तिथि	07.10.2022
संज्ञान की तिथि	20.03.2023
आरोप गठन की तिथि	23.06.2023
साक्ष्य प्रारंभ करने की तिथि	26.07.2023
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	10.03.2026
निर्णय की तिथि	12.03.2026
दंड की तिथि, यदि कोई है	अप्रयोज्य

न्यायालय– राकेश कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बेगूसराय

C.R No. 1840^{c} / 2022

T.R No. 111 / 2025

निर्णय की तिथिः 12.03.2026

सुभाष कुमार बनाम् नितिश कुमार

अभियुक्तों का विवरण

अभियुक्तों का क्रमांक	अभियुक्तों का नाम	गिरफ्तार / आत्मसमर्पण की तिथि,	जमानत की तिथि,	आरोप गठन की धाराएं	दोषसिद्धि या दोषमुक्ति	दंडादेश	धारा 428 द0 प्र0 स0 से संबंधित विवरणी
01.	रामाशीष शर्मा, पिता– स्व0 सुखदेव शर्मा, साकिन–सिंघौल, थाना– सिंघौल, जिला–बेगूसराय।	अप्रयोज्य	30.05.2023	323, 504 भा0द0वि	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
02.	जमनुी देवी, पति– रामाशीष शर्मा, साकिन– सिंघौल, थाना– सिंघौल, जिला–बेगूसराय।	अप्रयोज्य	30.05.2023	323, 504 भा0द0वि	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
03.	आरती देवी, पति– चंदन कुमार, साकिन– सिंघौल, थाना– सिंघ ौल, जिला–बेगूसराय।	अप्रयोज्य	30.05.2023	323, 504 भा0द0वि	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
04.	नीतिश कुमार, पिता– रामाशीष शर्मा, साकिन–सिंघौल, थाना– सिंघौल, जिला–बेगूसराय।	अप्रयोज्य	30.05.2023	323, 504 भा0द0वि	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
05.	दिलखुश कुमार शर्मा, पिता– रामाशीष शर्मा, साकिन–सिंघौल, थाना– सिंघौल, जिला–बेगूसराय।	अप्रयोज्य	30.05.2023	323, 504 भा0द0वि	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
06.	चंदन कुमार, पिता– रामाशीष शर्मा, साकिन–सिंघौल, थाना– सिंघौल, जिला–बेगूसराय।	अप्रयोज्य	30.05.2023	323, 504 भा0द0वि	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

न्यायालय– राकेश कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बेगूसराय

C.R No. 1840^{c}/2022

T.R No. 111/2025

निर्णय की तिथिः 12.03.2026

सुभाष कुमार बनाम् नितिश कुमार

FORM C

अभियोजन, प्रतिरक्षा एवं न्यायालय साक्षी की सूचीः

(क) अभियोजन/परिवादी

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
CW-01	विवेक कुमार	साक्षी
CW-02	सुभाष कुमार	साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी की सूचीः

क्रमांक	नाम	विवरण
अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

(ग) न्यायालय साक्षी की सूची

क्रमांक	प्रदर्श	विवरण
अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूची

अभियोजन प्रदर्श की सूची

क्रमांक	प्रदर्श	विवरण
अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

न्यायालय– राकेश कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बेगूसराय

C.R No. 1840^{c}/2022

T.R No. 111/2025

निर्णय की तिथिः 12.03.2026

सुभाष कुमार बनाम् नितिश कुमार

प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूची

क्रमांक	प्रदर्श	विवरण
01	डी01	परिवाद संख्या 1868/2022 का दिनांक 14.10.2022 से 21.09.2024 का आदेश फलक
02	डी01	परिवाद संख्या 1868/2022 का परिवाद पत्र

न्यायालय प्रदर्श की सूची

क्रमांक	प्रदर्श	विवरण
अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

(घ) सामग्री वस्तु – प्रवर्तनीय नहीं

क्रमांक	वस्तु क्रमांक	विवरण
अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

1. उपरोक्त अभियुक्तगण धारा 323, 504 भा0द0वि के अन्तर्गत आरोपित हैं और विचारण का सामना कर रहे हैं।

2. प्रस्तुत वाद मुलतः विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम बेगूसराय, के न्यायालय परिवादी सुभाष कुमार द्वारा परिवाद पत्र संस्थित किया गया। तत्पश्चात अभिलेख विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को स्थानांतत्रित किया गया।

3. परिवादी के कथनानुसार घटना का सारांश दिनांकः– 07.10.2022 को रात्रि करीब 09 बजे परिवादी के घर में

जाकर अभियुक्तगण द्वारा गाली–गलौज व मारपीट किया। जब परिवादी की बहन पुष्पा कुमारी उसे बचाने आई तो अभियुक्तगण द्वारा उसे भी पकड़ लिया गया और बोला कि तुम्हारा भी ईज्जत बर्बाद कर देंगे।

4. परिवादीनी के शपथ पर बयान व जांच साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर दिनांक 20.03.2023 को प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बेगूसराय के द्वारा मामले 1. रामाशीष शर्मा, 2. जमुनी देवी, 3. आरती देवी, 4. नीतिश कुमार, 5. दिलखुश कुमार शर्मा, 6. चंदन कुमार के विरूद्ध धारा 323, 504 भा0द0सं0 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाकर उपस्थिति के लिए प्रक्रिया निर्गत किया गया तथा वाद विचारा एवं निस्पादन हेतु निजी संचिका में रखा गया।

5. दिनांक 23.06.2023 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 323, 504 भा0द0सं0 के अन्तर्गत अभियोग का सारांश हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया। जिसे सुन कर अभियुक्तगण स्वयं को निर्दोष बताया तथा विचारण की दावा किया।

6. परिवादीनी का साक्ष्य बंद कर आज दिनांक 23.12.2024 को द0 प्र0 सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अभियुक्तगण का बयान दर्ज किया गया। जिसमें वह अपने को निर्दोष बताये हैं।

7. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं?

8. परिवादी पक्ष की ओर से घटना के समर्थन में कुल दो साक्षी उपस्थित हुए। सूचक साक्षी (परिवादी) का मौखिक साक्ष्य कराया गया है जो साक्षी संख्या–01 विवेक कुमार, (CW–01), साक्षी संख्या–02 सुभाष कुमार, (CW–02) है। प्रतिपक्ष द्वारा दो दस्तावेज डी0, डी0 01 के रूप में प्रदर्श किया गया। उन्होंने कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

मंतब्य

9. सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण धारा 323, 504 भा0द0सं के अन्तर्गत आरोपित है और विचारण का सामना कर रहे हैं। अभियुक्तों पर आरोपित धाराओं में धारा 323, 504 भा0द0सं0 की है। अतः इसका निर्धारण गुण दोष के आधार पर किया जायेगा।

10. अब जहां तक आरोपित धारा 323, 504 भा0द0सं0 के अपराध की बात है, के संबंध में इस वाद के साक्षी CW-01 ने मुख्य परीक्षण में घटना के संबंध में बताया कि यह केस सुभाष कुमार ने किया है। प्रभाष कुमार मेरा बड़ा भाई है। उसने यह केस नितिश कुमार, रामाशीष शर्मा, दिलखुश शर्मा, जमुनी देवी, आरती देवी एवं चंदन कुमार पर किया है। यह घटना 07 अक्टूबर 2022 की समय रात 09:00 बजे की है। जब मैं अपने पूरे परिवार के साथ घर पर थे, तभी मुदालय नितिश कुमार, दिलखुश शर्मा, रामाशीष शर्मा, चंदन, जमुना, आरती सभी मेरे घर में घुसकर मारपीट करने लगा और गाली–गलौज करने लगा। बाहर खींचकर ले गया और मारपीट करने लगा। पुष्पा कुमारी जब मेरे भाई प्रभाष को बचाने के लिए आई तो उस तीनों भाई नीतिश, चंदन रामाशीष पकड़कर छेड़छाड़ करने लगे और वे लोग बोले कि तुम ही झगड़ा का कारण हो। जब पुष्पा कुमारी उसका विरोध किया तो रामाशीष राय उसे धमकी दिया और पकड़ कर बाहर ले गया और उसे मारा। उसके बाद रामाशीष के मारने से नाक से खून बहने लगा। पीछे से जमुनी और आरती उसने भी पुष्पा को लात–घुसा से मारने लगी। उसने मेरी मां और मैं अपनी बहन को छुड़ाकर घर लाए तथा जमुनी देवी बोली मेरा बेटा आज या कल तुमको उठाकर ले जाएगा। उसके बाद पुष्पा कुमारी को बोला कि तुमको बेइज्जत कर देंगे। घ ाटना के दो दिन पूर्व पुष्पा नहा रही थी तो नितीश उसका विडियो बना रहा था जिसे वो वायरल करना चाह रहा था और ब्लैकमेल करने लगा। उसका आवेदन सिंघौल थाना में दिया तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज न्यायालय में नीतिश कुमार आया है। अन्य सभी आदमी को पहचानता हूं। <u>अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि</u> नीतिश, चंदन, दिलखुश मेरे चचेरे भाई, रामाशीष मेरे चाचा एवं जमुनी चाची एवं आरती मेरी भाभी लगती है। मेरा एवं मुदालय का घर एक ही कैंपस में है। मेरे घर के अगल–बगल 100–200 व्यक्ति का घर है। वहां रामदेव पंडित, सुधीर पंडित, रघुनंदन पंडित, मोहन पंडित वगैरह का मकान है। इन लोग से मेरे पिताजी का कोई झगड़ा नहीं है। आना–जाना होता है। इस मुकदमा कि जानकारी 07 अक्टूबर, 2022 को हुई। उस समय मैं घर पर नहीं था। जब हम आए तो पता चला कि प्रभाष ने मुकदमा किया है। उसने बताया कि किन–किन लोगों पर मुकदमा किए हैं उसमें मैं भी आता हूं। मैंने मुकदमा का कागज पढ़ा है। मैं उसी तरह गवाही दे रहा हूं जो मैंने पढ़ा था। इन लोगों का मेरे पिताजी से 2–5 सालो से चल रहा है जमीन का झंझट चलता था फिर क्यों झंझट है मुझे पता नहीं। वहां अगल–बगल के 10–15 लोग आए। 05 मिनट बाद सभी लोग आए थे। अंधेरे में मैं किसी को पहचानता नहीं। अंदर में बिजली थी बाहर में लाईट नहीं थी। मेरा और रामाशीष के घर के बीच में दीवार है। किसी भी व्यक्ति का ईलाज डाक्टर साहब के पास नहीं हुआ। दो दिन पूर्व जो विडियो बनाने कि घटना हुई थी। आवेदन मेरे बहन ने लिखकर दिया था। पता नहीं मेरे बहन ने उसे थाने को रजिस्ट्री एस0पी0 साहब के यहां आवेदन दिया था या नहीं। न्यायालय में उससे संबंधित कोई आवेदन

आया था कि नहीं मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। जमुनी देवी ने उसी घटना के तारीख को लेकर एक मुकदमा किया है जिस पर मैं जमानत पर हूं। उस घटना को लेकर आज तक न ही कोई विडियो वायरल हुआ था। मैंने विडियो नहीं देखा है। मेरे पिताजी फर्निचर का काम करते हैं। रामाशीष शर्मा फर्निचर का काम करते हैं। इसके अलावा इन लोगों पर कोई दूसरा मुकदमा नहीं है।

CW-02 यह केस मैंने किया है। टंकित आवेदन में मेरा हस्ताक्षर जिस मैं पहचानता हूं। जिसे प्रदर्श पी01/पी0 डबलू02 अंकित किया जाता है। यह घटना दिनांक 07.10.2022 के समय 09:00 बजे रात्रि की है। मैं सपरिवार अपने घर में था। तभी जामुनी देवी, रामाशीष शर्मा, दिलखुश कुमार, चंदन कुमार, नितिश कुमार आरती देवी आए। ये सभी एक साथ मिलकर मेरे घर में लाठी–डंडा से मारपीट करने लगे। जिसमें मेरी बहन प्रभा कुमारी जब मुझे बचाने आई तो दिलखुश, नितिश और चंदन कुमार तीनों मिलकर पुष्पा कुमारी को पकड़ लिए। दिलखुश और नितिश पुष्पा के मुह को सहलाने लगा और नितिश विडियो बना रहा था। इसी पर जब पुष्पा कुमारी ने मना किया तो रमाशीष शर्मा बोले कि झगड़ा का कारण यही है। इसके साथ मारपीट करो। रमाशीष शर्मा उसका गला दबाने लगा और नाक पर एक थप्पड़ मारा जिससे उसके नाक से खून बहने लगा। पुष्पा कुमारी को तीनों खींचकर अपहरण करने ले जा रहा था और बोाला कि इसका इज्जत तार–तार कर देते हैं। इस घटना का कारण यह है कि दो दिन पहले पुष्पा नहा रही थी तो नितिश विडियो बना रहा था तब जब हमलोग मना किया तो मारपीट करने लगा। मैं सिंघौल थाना में जाकर सूचना दी थी। वहां नितिश कुमार एवं उसके परिवार को छोड़ दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज न्यायालय में दिलखुश कुमार आया है अन्य को देखकर पहचान लूंगा। अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि मैंने न्यायालय में मुकदमा 10.10.2023 को दाखिल किया था। पुनः कहते है कि 2022 को हुआ था। मैंने जो बोला वकील साहब वही लिखा। मैंने टंकित आवेदन को पढ़ा था। दिनांक 07.10.2022 – 10.10.2022 के बीच में एक दिन न्यायालय बंद था। एक दिन आवेदन दाखिल लिया है। टंकित आवेदन के साथ थाना का मुकदमा का आवेदन का कॉपी दाखिल किया है। एस0पी0 साहब को आवेदन नहीं दिया था। कहीं रजिस्ट्री भी नहीं किया था। दो दिन पूर्व जो विडियो बना रहा था उस संबंध में कहीं कोई आवेदन नहीं दिया था। मुकदमा मैंने अपना चाचा और चचेरे भाई पर किया है। हमलोगों के बीच 10–15 वर्ष से परिवाद चलता रहा है। जमीन का विवाद नहीं चल रहा है। मेरे घर के आसपास 20 मकान है। सुधीर पंडित, रामदेव पंडित, रघुनंदन शर्मा का मकान है और किसी का नाम नहीं बता सकते। सभी से हमलोगों का अच्छा संबंध है। घटनास्थल पर मेरे अलावा वहां कोई नहीं थे। मेरा और मुदालय का घर एक ही कैंपस में है। बीच में दीवार है जिसकी उॅचाई 10 फीट है। सिंघौल थाने में जो आवेदन घटना की सूचना दिया था वह न्यायालय में फाइल में है। सदर अस्पताल में 08 तारीख को हमने ईलाज कराया, मेरी

बहन का ईलाज हुआ। नाम में चोट लगा था। नाक की हड्डी नहीं टूटी। मेरे घर से सदर अस्पताल 2–3 किलोमीटर दूर था, साईकिल से लेके गया था। कितने बजे चला था याद नहीं है। इस घटना तिथि को लेकर जामनी देवी ने भी हम पर मुकदमा किया है, जिसमें रामनाथ शर्मा, पुष्पा कुमारी, शिव ज्योति देवी, सुभाष कुमार, विवेक कुमार, पिंकी देवी मुदालय है। जिसमें से पुष्पा कुमारी, शिव ज्योति देवी, विवेक कुमार मेरे इस केस में गवाह है। मैं और मुदालय अपने गोतिया है। दिलखुश कुमार, चंदन कुमार, नितिश कुमार और रामाशीष शर्मा का एल्युमिनियम का दुकान है। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता हूं, महीना में कितने दिन मॉर्निंग और इवनिंग, नाईट थी इसके बारे में नहीं बता सकता। 07.10.2022 को यह मुकदमा दाखिल किया था मेरा और मुदालय का घर सटा हुआ है।

11. इस प्रकार उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य विश्लेषण से स्पष्ट है कि CW-1, CW-2 साक्षी हैं। सी0डब्लू 01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि मुदय और मुदालय आपस में संबंधी हैं। दोनों पक्षों के बीच जमीन संबंधी विवाद पूर्व से चला आ रहा है। घटना में किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी न ही किसी का ईलाज कराया गया। इसी घटना को लेकर पहले मुदालय ने केस किया जिस पर हमलोग जमानत पर हैं। सी0डब्लू 02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि मैंने थाना में केस नहीं किया, न ही एस0पी0 साहब को आवेदन दिया। सीधे न्यायालय में आकर केस किया हूं। मुदालयगण चाचा और चचेर भाई हैं। हमलोगों के बीच 10–15 वर्षों से विवाद चल रहा है लेकिन जमीनी विवाद नहीं चल रहा है। मुदई मुदालय एक ही कैंपस में रहते हैं। जख्म का ईलाज सदर अस्पताल में करवाया, जबकि सी0डब्लू 01 ने कहा कि जख्म का कोई ईलाज नहीं करवाया। दोनों साक्षियों के साक्ष्य में भिन्नता है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परिवादी द्वारा परीक्षण नहीं कराया गया। सभी साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं। परिवाद पत्र के अनुसार घटना का कुछ अंश रोड पर भी हुआ और आसपास डेढ़ दो सौ घर है, परंतु किसी भी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिपक्ष मुदालयगण द्वारा परिवादी पर इस वाद के पूर्व ही मुकदमा किया गया। जिसे प्रदर्श डी0, डी0 01 के रूप में किया गया। मुदालय द्वारा 1868/2022 परिवादी के उपर इस परिवाद के पूर्व में दायर किया गया है। उपरोक्त कथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा पूर्व केस से बचने के लिए एवं मुदालयगण पर दबाव बनाने हेतु यह परिवादपत्र दायर किया। इस प्रकार परिवादी अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा 323, 504 के आरोपों को युक्तयुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहे। साक्ष्य विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि परिवादी को अपना मामला सभी संदेहों से परे साबित करना आवश्यक है। परंतु प्रस्तुत मामले में अभिलेख पर ऐसा कोई

<u>न्यायालय– राकेश कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बेगूसराय</u>

<u>C.R No. 1840^{c}/2022</u>

T.R No. 111/2025

निर्णय की तिथिः 12.03.2026

सुभाष कुमार बनाम् नितिश कुमार

साक्ष्य नहीं है जो कि अभियुक्तों को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो। फलस्वरूप न्यायालय प्रस्तुत प्रकरण के उपरोक्त वर्णित अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करना न्यायसंगत समझती है।

<u>आदेश</u>

इस वाद के अभियुक्त 1. रामाशीष शर्मा, 2. जमुनी देवी, 3. आरती देवी, 4. नीतिश कुमार, 5. दिलखुश कुमार शर्मा, 6. चंदन कुमार धारा– 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से साक्ष्य के अभाव में समाप्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं। जमानत प्रपत्रों को निरस्त किया जाता है, तथा प्रतिभूओं को बंध–पत्र से मुक्त किया जाता है।

राकेश कुमार
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी,
व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय।
दिनांक– 12.03.2026

यह निर्णयादेश मेरे द्वारा टंकित, शुद्धित एवं हस्ताक्षरित करके आज खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

राकेश कुमार
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी,
व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय।
दिनांक– 12.03.2026